



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404

Website: psc.uk.gov.in

विज्ञापन संख्या- A-2/E-4/DR/Poly. Principal/2024-25

राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रधानाचार्य परीक्षा-2024

Government Polytechnic Institute Principal Examination-2024

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	-	31 दिसम्बर, 2024
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	-	20 जनवरी, 2025 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI Payment द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	-	20 जनवरी, 2025 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
ऑनलाईन आवेदन में संशोधन/परिवर्तन करने की तिथि		28 जनवरी, 2025 से 06 फरवरी, 2025 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश :-

1.	उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 168/XXXVI(3)/2023/10(01)/2023 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 समय-समय पर यथा संशोधित के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
2.	अभ्यर्थी ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा धारित करना आवश्यक है।
3.	अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 20 जनवरी, 2025 तक विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2022 के क्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की तिथि का निर्धारण केवल अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) से किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में, Result Declaration Date के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो। अभिलेख सत्यापन के समय विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

4.	अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। अपूर्ण आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन भर लें।
5.	फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण आदि सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की इस परीक्षा से व समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय प्रवेश पत्र पर पृथक से कुछ भी लिखना/लिखा पाया जाना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
6.	प्रश्नगत् परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र एवं Net Banking/Debit Card/ Credit Card/UPI के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य किया जायेगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7.	ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन अंतिम रूप से Submit करने के उपरान्त रद्द (Cancel) कर प्रश्नगत् पद हेतु पुनः आवेदन कर सकता है, किन्तु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा अर्थात् अभ्यर्थी को संशोधित/नवीन ऑनलाईन आवेदन पत्र के सापेक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
8.	<p>ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। ऑनलाईन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्म तिथि/श्रेणी/उपश्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन के बिन्दु संख्या-13 (संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किया जायेगा।</p> <p>अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।</p>
9.	<p>i- आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार के प्रमाण-पत्र को आयोग कार्यालय में जमा/प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।</p> <p>ii- प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) एवं तत्पश्चात् साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा।</p> <p>iii- आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट की स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से सम्बन्धित समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में लिखित परीक्षा के परिणाम</p>

	<p>के उपरान्त आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।</p> <p>iv- विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी के दावे के अनुसार प्रमाण-पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी सूचनाएँ सावधानीपूर्वक एवं सही-सही भरें।</p> <p>v- लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा-शैक्षणिक, अनुभव, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन/मिलान, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली-2022(यथा संशोधित) के भाग-नौ में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु नियत तिथि पर वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों में सूक्ष्म विज्ञप्ति एवं आयोग की वेबसाइट में विस्तृत विवरण के माध्यम से पृथक से सूचित किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।</p> <p>vi- अभ्यर्थियों को परीक्षा के विभिन्न चरणों की जानकारी दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से प्रदान की जायेगी साथ ही अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई-मेल या एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई-मेल आईडी0 ही आवेदन पत्र में भरें।</p>
10.	<p>अभ्यर्थी परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट-01, आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट-02, अनुभव प्रमाण-पत्र हेतु परिशिष्ट-03, न्यूनतम अर्हक अंक हेतु परिशिष्ट-04, परीक्षा केन्द्र/जनपद के चयन हेतु परिशिष्ट-05, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु परिशिष्ट-06 तथा 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु परिशिष्ट-07 एवं अभिलेखों से संबंधित चैकलिस्ट हेतु परिशिष्ट-08 का अवलोकन करें।</p>
11.	<p>प्रश्नगत लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) एवं साक्षात्कार हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट-04 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को उनकी दावित आरक्षण श्रेणी/उप-श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) के आधार पर प्रवीणता-सूची हेतु विचारित किया जायेगा।</p>
12.	<p>विज्ञापित पद पर चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। विज्ञापन के परिशिष्ट-05 में उल्लिखित राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रधानाचार्य परीक्षा-2024 हेतु लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) का आयोजन राज्य के हरिद्वार नगर में स्थित परीक्षा केन्द्र में किया जायेगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर हल्द्वानी नगर में परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। लिखित परीक्षा में सफल एवं अर्ह अभ्यर्थियों के लिये साक्षात्कार का आयोजन हरिद्वार नगर में स्थित परीक्षा केन्द्र पर किया जायेगा।</p> <p>उक्त परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी।</p>
13.	<p>प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाइन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों के</p>

	सूचनार्थ विज्ञप्ति, राज्य के 2 हिन्दी दैनिक एवं 01 अंग्रेजी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।
14.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये ई0डब्ल्यू0एस0 एवं ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र, आवेदन की अन्तिम तिथि तक वैध होना चाहिए।
15.	उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक-05.06.2023 के अनुसार राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रधानाचार्य हेतु दिव्यांगता OA,OL, LV/PB, HH/PD, LC,Dw, AAV/AV श्रेणी की निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। उक्त चिन्हित उपश्रेणियों के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उपश्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थी प्रश्नगत पदों के सापेक्ष आवेदन नहीं कर सकते हैं।
16.	प्रश्नगत परीक्षा में अभ्यर्थियों का चयन प्रत्येक स्तर पर पूर्णतः औपबन्धिक है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि वह अभ्यर्थी निर्धारित अर्हताएँ धारित नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी का प्रश्नगत परीक्षा में अन्तिम रूप से चयन भी कर लिया जाता है तथा चयन संस्तुति शासन को प्रेषित कर दी जाती है तो वैसी दशा में भी अभ्यर्थी के अभिलेखों में त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर उस अभ्यर्थी की चयन संस्तुति शासन से वापस लेते हुए अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रधानाचार्य परीक्षा-2024 हेतु इच्छुक/पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक/पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 20 जनवरी, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

01. रिक्तियों का विवरण – रिक्तियों की कुल संख्या 14 है। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है। रिक्तियों का श्रेणीवार/उपश्रेणीवार विवरण निम्नवत है :-

क्र०सं०	पद का नाम	श्रेणी	कुल रिक्त पद	उपश्रेणी/क्षेत्रीय आरक्षण के तहत रिक्त पदों की संख्या							
				उत्तराखण्ड महिला (30%)	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक (05%)	उत्तराखण्ड दिव्यांगजन वर्ग (04%)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित (02%)	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे (05%)	उत्तराखण्ड राज्य के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित (10%)	अनारक्षित	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	
01	प्रधानाचार्य के सीधी भर्ती के पद (राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान, उत्तराखण्ड)	अनारक्षित	07	02	00	00	00	00	00	05	
		अनुसूचित जाति	03	01	00	00	00	00	00	00	02
		अनुसूचित जनजाति	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	02	00	00	00	00	00	00	00	02
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	00	00	00	00	00	00	00	02
योग			14	03	00	00	00	00	00	11	

नोट:- 1. समाज कल्याण अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-48, दिनांक 05 जून, 2023 में प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन के लिए चिन्हित उपश्रेणियाँ OA(One Arm),OL(One Leg), LV/PB (Low Vision/Partial Blind), HH/PD (Hard of Hearing/Partially Deaf), LC (Leprosy Cured), Dw

(Dwarfism), AAV/AV (Acid Attack Victims/Acid Victims) निर्धारित है। उक्त के अतिरिक्त अन्य दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

2. प्रश्नगत विज्ञापन में जिन श्रेणी के पद विज्ञापित नहीं किये गये हैं, वह अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं तथा इसी प्रकार विज्ञापन में जिन उपश्रेणियों के पद विज्ञापित नहीं किये गये हैं, वह अभ्यर्थी अपनी मूल श्रेणी यथा— अनु0 जाति, अनु0जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पदों के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं।

02. वेतनमान:-7वें वेतनमान के अनुसार—वेतन मैट्रिक्स लेवल—12(₹ 78800—209200)

03. पद का स्वरूप:- राजपत्रित/निरंतर चलते रहने की संभावना/अंशदायी पेंशनयुक्त (समूह—'क')।

04. (1) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता:- (i) पीएच0डी0 तथा अभियंत्रण एवं प्राविधिक के प्रासंगिक विषय क्षेत्र में स्नातक अथवा निष्णात् स्तर पर प्रथम श्रेणी, शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 16 वर्ष के अनुभव के साथ, जिसमें से कम से कम 03 वर्ष का अनुभव पीएच0डी0 के पश्चात् का हो तथा विभागाध्यक्ष से अन्यून स्तर का 05 वर्ष का अनुभव।

अथवा

शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 20 वर्ष के अनुभव के साथ, प्रासंगिक विषय क्षेत्र में स्नातक अथवा निष्णात् स्तर पर प्रथम श्रेणी, जिसमें से कम से कम 05 वर्ष का अनुभव विभागाध्यक्ष के स्तर से अन्यून स्तर का हो।

टिप्पणी:- सरकारी/सहायता प्राप्त संस्थानों/संस्थानों/सार्वजनिक उपक्रमों एवं लिमिटेड संगठनों का अनुभव स्वीकार किया जायेगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थियों ने विहित शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त कर ली हों।

नोट:- 1. अभ्यर्थी को स्नातक अथवा निष्णात् स्तर पर दोनों में से किसी एक स्तर पर प्रथम श्रेणी का होना अनिवार्य है।

2. प्रासंगिक विषय क्षेत्रों के अंतर्गत अग्रलिखित विषय सम्मिलित है:-

मैकेनिकल इंजीनियरिंग/ मैकेनिकल और रोबोटिक्स/ऑटोमेशन इंजीनियरिंग/मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग/इंडस्ट्रियल और उत्पादन इंजी0/मैकेनिकल इंजीनियरिंग (उत्पादन)/उत्पादन इंजीनियरिंग/मैकेनिकल इंजीनियरिंग (रिपेयर एवं मेण्टीनेन्स)/टूल इंजीनियरिंग/इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रानिक्स इंजी0/इलैक्ट्रिकल एण्ड पावर इंजी0/इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीयल कंट्रोल/इलैक्ट्रिकल इलैक्ट्रानिक्स एण्ड पावर इंजीनियरिंग/पावर इंजीनियरिंग/सिविल इंजीनियरिंग/सिविल एण्ड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग /सिविल एण्ड रूरल इंजीनियरिंग / सिविल एण्ड वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग/सिविल इंजीनियरिंग एण्ड प्लानिंग/सिविल एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग/सिविल इंजीनियरिंग इनवायरमेंट एण्ड पॉल्यूशन कंट्रोल/सिविल टैक्नोलॉजी/बिल्डिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन टैक्नोलॉजी/इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग/इलैक्ट्रानिक्स और संचार इंजीनियरिंग/इलैक्ट्रानिक्स एण्ड दूरसंचार इंजीनियरिंग/एडवांस इलैक्ट्रानिक्स और संचार इंजीनियरिंग / इलैक्ट्रानिक्स साइंस एण्ड इंजीनियरिंग/इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीमेटिक्स इंजीनियरिंग/ इलैक्ट्रानिक्स संचार एण्ड इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग/इलैक्ट्रानिक्स डिजाइन टैक्नोलॉजी/इलैक्ट्रानिक्स सिस्टम इंजीनियरिंग/ इलैक्ट्रानिक्स टैक्नोलॉजी/इलैक्ट्रानिक्स एण्ड कंट्रोल सिस्टम/इलैक्ट्रानिक्स पावर इंजीनियरिंग/दूर संचार इंजीनियरिंग/इन्स्ट्रुमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग/इन्स्ट्रुमेंटेशन एण्ड इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग/ इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग/इन्स्ट्रुमेंटेशन टैक्नोलॉजी/ इलैक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग / इन्स्ट्रुमेंटेशन और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग/इलैक्ट्रिकल और इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग/पावर इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग/इलैक्ट्रानिक्स इन्स्ट्रुमेंटेशन एण्ड कंट्रोल इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी एण्ड इंजीनियरिंग/ इनफोरमेशन साइंस एण्ड इंजीनियरिंग /इनफोरमेशन साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी/इनफोरमेशन एण्ड कम्प्युनिकेशन टैक्नोलॉजी/इनफोरमेशन इंजीनियरिंग /कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग/ कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/ कम्प्यूटर साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी/ कम्प्यूटर साइंस एण्ड सिस्टम इंजीनियरिंग /कम्प्यूटर टैक्नोलॉजी / कम्प्यूटर इंजीनियरिंग एण्ड एप्लीकेशन/कम्प्यूटर साइंस / मैकेनिकल इंजीनियरिंग (ऑटो0)/मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल/ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग/ऑटोमोबाइल मैन्टेनेन्स इंजीनियरिंग / ऑटोमोटिव टैक्नोलॉजी/कैमिकल इंजीनियरिंग/ कैमिकल टैक्नोलॉजी/कैमिकल

इंजीनियरिंग (रबर एवं प्लास्टिक) / कैमिकल इंजीनियरिंग (प्लास्टिक एवं पॉलीमर) / कैमिकल टेक्नोलॉजी (रबर एवं प्लास्टिक) / प्लास्टिक एण्ड पॉलीमर इंजीनियरिंग / प्लास्टिक इंजीनियरिंग / प्लास्टिक टेक्नोलॉजी / रबर टेक्नोलॉजी / आर्किटेक्चर / आर्किटेक्चर एण्ड इन्टीरियर डेकोरेशन / एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग / एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी / माईनिंग एण्ड सर्वे इंजीनियरिंग / सर्वे इंजीनियरिंग / भूगर्भ / भूगर्भीय टेक्नोलॉजी।

Mechanical Engineering/ Mechanical and Robotics/ Automation Engineering/ Mechatronics Engineering/ Industrial and Production Engineering/ Mechanical Engineering (Production)/ Production Engineering/ Mechanical Engineering (Repair and Maintenance)/ Tool Engineering/ Electrical Engineering/ Electrical and Electronic Engineering/ Electrical and Power Engineering/ Electrical Engineering Industrial Control/ Electrical, Electronics and Power Engineering/ Power Engineering/ Civil Engineering/ Civil and Environmental Engineering/ Civil and Rural Engineering/ Civil and Water Management Engineering/ Civil Engineering and Planning/ Civil and Infrastructure Engineering/ Civil Engineering Environment and Pollution Control/ Civil Technology/Building and Construction Technology/ Electronics Engineering/ Electronics and Communication Engineering/ Electronics and Telecom. Engineering/ Advance Electronic and Communication Engineering/ Electronics Science and Telemetries Engineering/ Electronics Communication and Instrumentation Engineering/ Electronics Design Technology/ Electronics System Engineering/ Electronics Technology/ Electronics and Control. System/ Electronics Power Engineering/ Telecommunication Engineering/ Instrumentation and Control Engineering/ Instrumentation and Electronics Engineering/ Instrumentation Engineering/ Instrumentation Technology/ Electrical Instrumentation and Control Engineering/ Instrumentation and Automation Engineering/ Electrical and Instrumentation Engineering/ Power Electronics and Instrumentation Engineering/ Electronics and Control Engineering/ Information Technology/ Information Technology and Engineering/ Information Science and Engineering/ Information Science and Technology/ Information and Communication Technology/ Information Engineering/ Computer Science and Engineering/ Computer Engineering/ Computer Science and Technology/ Computer Science and System Engineering/ Computer Technology/ Computer Engineering and Application / Computer Science/ Mechanical Engineering(Automobile)/ Mechanical Engineering Automobiles/Automobiles Engineering / Automobiles Maintenance Engineering/ Automotive Technology/ Chemical Engineering/ Chemical Technology/ Chemical Engineering(Rubber and plastic)/ Chemical Engineering(Plastic and Polymer)/ Chemical Technology(Rubber and Plastic)/ Plastic and Polymer Engineering/ Plastic Engineering/ Plastic Technology/ Rubber Technology/ Architecture/ Architecture and Interior Decoration/ Agricultural Engineering/ Agricultural Technology/ Mining and Survey Engineering/ Survey Engineering/ Geology/ Geology Technology.

3. बिन्दु सं०- 2 में उल्लिखित किसी भी पाठ्यक्रम का अभ्यर्थी संबंधित पाठ्यक्रम के किसी भी विषय में निष्णात् अथवा पीएच०डी० धारक हो सकता है।
4. बिन्दु सं०- 2 के अनुसार संबंधित विषयों अथवा संबंधित पाठ्यक्रमों में ए०आई०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा संस्थानों अथवा इंजीनियरिंग स्तर की कक्षाओं में शैक्षणिक अनुभव, जिसका स्तर प्रवक्ता से न्यून न हो तथा जिसका वेतनमान पे बैण्ड-3 मैट्रिक्स लेवल-10** से न्यून न हो।
5. बिन्दु सं०- 2 के अनुसार संबंधित विषयों अथवा पाठ्यक्रमों से संबंधित शोध कार्य केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों में किया गया हो तथा जिसका स्तर शोध अधिकारी अथवा सहायक शोध अधिकारी आदि स्तर से कम का न हो एवं जिसका वेतनमान पे बैण्ड-3 मैट्रिक्स लेवल-10** से न्यून न हो।

6. भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के उद्योग विभाग/एम0एस0एम0ई0 से पंजीकृत प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी अथवा उद्योग में प्रबन्धकीय अथवा इंजीनियरिंग से संबंधित औद्योगिक कार्य अनुभव, जिसका वेतनमान पे बैण्ड-3 मैट्रिक्स लेवल-10** से न्यून न हो।

** शासनादेश संख्या- 1552, दिनांक: 18 दिसम्बर, 2024 के अनुसार पॉचवें वेतन आयोग(01.01.1996 से 31.12.2005 तक) के आधार पर मूल वेतन ₹ 8000 – 13500/- + महंगाई भत्ता, छठे वेतन आयोग (01.01.2006 से 31.12.2015 तक) के आधार पर मूल वेतन ₹ 15600 – 39100/- + ग्रेड वेतन + महंगाई भत्ता, सातवें वेतन आयोग (01.01.2016 से 31.12.2025 तक) के आधार पर वेतनमान पे-बैण्ड-3 मैट्रिक्स लेवल-10 ₹ 56100 – 177500/- में राजकीय सेवाओं में सेवा प्रारंभ के समय मूल वेतन + तत्समय का महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे प्रवक्ता के समकक्ष निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त डिप्लोमा संस्थानों तथा इंजीनियरिंग स्तर की कक्षाओं में शैक्षणिक अनुभव, निजी क्षेत्र के केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों तथा एम0एस0एम0ई0 से पंजीकृत प्राईवेट लिमिटेड कंपनी अनुभव धारित व्यक्तियों के वेतन (मूल वेतन + तत्समय का महंगाई भत्ता) प्राप्त कर रहे कार्मिकों को मैट्रिक्स लेवल-10 के समकक्ष माना जा सकता है।

(ii) हिन्दी का ज्ञान।

(2) **अधिमानी अर्हता:-** ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने-

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष की सेवा की हो, या

(2) नेशनल कैडेट कोर (एन0सी0सी0) का "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो:

को अन्य बातों के समान होने पर अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

05. आयु :- आयु सीमा 35 से 50 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की निश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2024 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2024 को न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई 1989 के पश्चात् का एवं 02 जुलाई, 1974 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

06. अधिकतम आयु सीमा में छूट :- विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी।

1. उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/ उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु शासनादेश संख्या : 1399, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
2. उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
3. उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 2313, दिनांक 30 जुलाई, 2005 द्वारा समूह 'क' एवं 'ख' के पदों हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
4. शासनादेश संख्या: 17/2/1981- कार्मिक-2, दिनांक 28 फरवरी, 1985 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को जिन्होंने सेना के आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, पूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों को जिन्होंने सेना में कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट सेवाकाल को आधार मानकर, दी जायेगी। यह छूट उन सैनिकों/अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो छः माह की अवधि में कार्यमुक्त होने वाले हों परन्तु निम्नलिखित को अनुमन्य नहीं होगी:-
 1. जो कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त हुए हों,
 2. जो सेना की सेवा में अवगुण समझी जाने वाली शारीरिक अयोग्यता अथवा अशक्तता के कारण सेवामुक्त हुए हों।

07. आरक्षण :- उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी/उप श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पूर्व सैनिक, निःशक्त (दिव्यांग), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, अनाथ बच्चे, महिला श्रेणी, उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी श्रेणी तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन कर सकेंगे।

(ख) अधिसूचना संख्या: **64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019**, दिनांक **07.03.2019** द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण) अधिनियम 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राज्याधीन लोक सेवाओं और सीधी भर्ती के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जिस वर्ष हेतु निर्गत किया जाये, उस वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर जारी होना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिये।

(ग) शासनादेश संख्या **48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017**, दिनांक **05 जून 2023** के आधार पर दिव्यांगजनों के लिए पद चिन्हित किये गये हैं। दिव्यांगजनों के आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम **40 प्रतिशत की विकलांगता** होना अनिवार्य है।

(घ) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: **09/XXXVI(3)/2023/72(1)/2022**, दिनांक **10 जनवरी, 2023** के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम-2022 के प्रस्तर-3(1) व (2) के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासित महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

(ड.) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या **133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009**, दिनांक **16.03.2009** के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्यकर्मियों को ही अनुमन्य होगा। पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के सम्बन्ध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश सं0-406/XXX(2)2021-55(41)/2004, दिनांक 18 जनवरी, 2021, शासनादेश संख्या 51/XXX(2)2021-53(01)/2001, दिनांक 09 फरवरी, 2021 एवं शासनादेश संख्या 277/XXX(2)2021-30(21)/2018, दिनांक 13 सितम्बर, 2021 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत हैं। भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt. (SCT) दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि:-

(a) Once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease.

(b) The ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates

will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs.

- (c) If an ex-serviceman applies for various vacancies before joining any civil employment, he/she can avail of the benefit of reservation as ex-serviceman for any subsequent employment. However, to avail of this benefit, an ex-serviceman as soon as he/she joins any civil employment, should give self declaration/undertaking to the concerned employer about the date-wise details of application for various vacancies for which he/she has applied for before joining the initial civil employment. Further, this benefit would be available only in respect of vacancies which are filled on direct recruitment and where reservation is applicable to the ex-serviceman. का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में भी क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ अभिलेख सत्यापन के समय उपलब्ध कराना होगा।
- (च) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन शासनादेशों के आलोक में दिया जाएगा।
- (छ) उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या: 179/XXX(2)/2021-30(2)/2019, दिनांक 31 अगस्त, 2021 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक माता-पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/शासकीय सेवा में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2021 एवं शासनादेश संख्या-11/XXX(2)/2022-30(2)/2019, दिनांक 16 फरवरी, 2022 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। उक्त आरक्षण के दावे के समर्थन में सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।
- (ज) शासनादेश संख्या-310/XVII-2/16-02(OBC)/2012, दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।
- (झ) यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।
- (ञ) ऑनलाइन आवेदन पत्र में आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के "परिशिष्ट-02" में उल्लिखित प्रारूप अथवा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ आयोग द्वारा मांगे जाने पर सभी शैक्षणिक अभिलेखों के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख "परिशिष्ट-02" में नहीं है,

उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

- (ट) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रित अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन शासनादेशों के आलोक में दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये। शासनादेश संख्या: 139/XX (8)/24-27(रा0आ0)/2018, दिनांक: 24.11.2024 के क्रम में जो राज्य आन्दोलनकारी पूर्व से ही राज्य आन्दोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में सेवायोजित होने का लाभ ले चुके हैं, वे पुनः अन्य सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होंगे। प्रत्येक राज्य आन्दोलनकारियों का दावा करने वाले अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा अभी तक सरकारी सेवा में राज्य आन्दोलनकारी कोटे में क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त किया गया है अथवा नहीं किया गया है।

08. राष्ट्रीयता: सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश-केन्या, युगांडा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो; परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी: ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

09. चरित्र:- सेवा में किसी पद सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं इस संबंध में अपना समाधान करेंगे।

टिप्पणी:-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

10. **वैवाहिक प्रास्थिति:**— सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो।

परन्तु यह कि यदि सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

11. **शारीरिक स्वस्थता:**— (1) किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए अनुमोदित किये जाने से पूर्व, उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परीक्षा में सफल हो गया है।

(2) सेवा में अन्य पदों के मानकों में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—दो, भाग—तीन के अध्याय—तीन में दिये गये मूल नियम—10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

परन्तु यह और कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49 वर्ष 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।

12. **ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया (Procedure to apply online) :-**

(i) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** या **ukpsc.net.in** पर जायें।

(ii) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात **ukpsc.net.in** पर जाकर **Menu bar** में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** पेज पर **Advertisement Details, Important Dates** एवं **Instructions for filling up online application form** का अवलोकन करने के पश्चात **Apply Now** बटन पर क्लिक करें।

(iii) **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर वांछित, अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Submit** पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी **Basic Information** प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो **I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same** पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा **No, I want to change some details** पर **Tick** कर **Edit** पर क्लिक करें एवं संशोधित **detail** भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फार्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

(iv) **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर **Primary Registration** पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile Number** एवं **Email** पर

Message प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर **Click here to login** के बटन पर क्लिक करें।

(v) **Login** करने के पश्चात् **Educational Details** पेज प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी अपने शैक्षिक विवरण के अनुसार फॉर्म पर **Educational Qualifications** के अन्तर्गत सर्वप्रथम **High School** का विवरण भरें एवं **Add Education Details** पर क्लिक करें, भरा गया विवरण **Add Education Detail** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। गलत **Educational** विवरण भरने की स्थिति में ग्रिड में **Edit/Delete** के **Icon** पर क्लिक कर **Edit** अथवा **Delete** किया जा सकता है। इसी प्रकार **Intermediate, Graduate** व अन्य शैक्षिक अर्हताएं भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कर **Continue** पर क्लिक करें। उसके पश्चात् **Photo & Signature to Upload** टैब पर **Photo, Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo, Signature** को **re-upload** करने के लिए **I want to upload photo and signature Checkbox** पर क्लिक कर पुन **Photo, Signature** अपलोड किये जा सकते हैं।

(vi) **Photo, Signature** अपलोड होने के पश्चात् **“I hereby declare that the photograph & signature are correct and accurate representation of myself” declaration** पर **Tick** कर **Continue** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। फॉर्म में भरे गये विवरण को सावधानी पूर्वक चेक कर लें। गलत भरें गये विवरण को **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फॉर्म पर वापस जाकर सही किया जा सकता है। वांछित विवरण सही होने की स्थिति में घोषणा पर **Tick** करने के पश्चात् **Final Button** पर क्लिक कर, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। **Print Application** बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर लें।

(vii) **Final Submission** के उपरान्त आनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (**Cancel**) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। आवेदन रद्द (**Application Cancel**) करने के लिए **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Submit** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Close** की जगह **Back** बटन पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाईल पर ओ0टी0पी0(**OTP**) प्राप्त होगा, जिसको कि **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द (**Application Cancel**) करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन (**Cancel Application**) के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट: (i) **Final Submission** से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में त्रुटि होने की दशा में **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फॉर्म में वापस (**Back**) जाकर त्रुटि में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी समस्या

(Technical Issue) के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpine@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

(ii) **Final Submission** के पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(iii) अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात् **मोबाइल नम्बर एवं Email-ID Edit** नहीं किया जा सकता है।

नोट: **Final Submission** से पश्चात् आवेदन-पत्र का प्रिंट-आउट निकालकर इसे ध्यान से पढ़ लें और सुनिश्चित कर लें कि इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो अति-महत्वपूर्ण निर्देश सं0-7 के अनुसार कार्यवाही करें।

13. संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु दिशा-निर्देश:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत (Edit/Correction) का लिंक खोला जाएगा।
- (ii) (Edit/Correction) हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।
- (iii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई-मेल आईडी0 एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर पायेंगे।
- (iv) लॉग-इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में (**मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 को छोड़कर**) आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।
- (v) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा Update हो सकेगा।
- (vi) Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।
- (vii) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा, किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।
- (viii) अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिये गये शुल्क को रिफंड नहीं किया जाएगा।
- (ix) इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त **संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction)** के अंतिम अवसर के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गयी किसी भी प्रविष्टियों/दावों को संशोधित/परिवर्तित करने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

14. शुल्क:- प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है :-

क्र०सं० (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन-शुल्क (Application Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
1	अनारक्षित	रु० 150.00	रु० 22.30	रु० 172.30
2	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रु० 150.00	रु० 22.30	रु० 172.30
3	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	रु० 60.00	रु० 22.30	रु० 82.30
4	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु० 150.00	रु० 22.30	रु० 172.30
5	उत्तराखण्ड शारीरिक दिव्यांग	कोई शुल्क नहीं	रु० 22.30	रु० 22.30
6	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं

नोट :- 1. उत्तराखण्ड राज्य के पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, उत्तराखण्ड राज्य के चिन्हित आन्दोलनकारी व उनके आश्रित एवं उत्तराखण्ड महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा-अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

2- उत्तराखण्ड शासनादेश सं० 1673, दिनांक 10 नवम्बर 2010 एवं शासन के पत्र सं० 232, दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के क्रम में विज्ञापित पदों के सापेक्ष चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क में छूट अनुमन्य होगी किन्तु प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित रु० 22.30 देय होगा।

15. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :-

(क) आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा/चयन प्रक्रिया:-

- (1) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्गदर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर मा० आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।
- (2) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन-2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022 यथासंशोधित आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर उपलब्ध है।
- (3) आयोग कार्यालय द्वारा अभ्यर्थियों के अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2022 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं:-
 - (i) अभ्यर्थी द्वारा जन्मतिथि हेतु हाईस्कूल (मैट्रीकुलेशन/समकक्ष) का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र/उपाधि प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
 - (ii) अभ्यर्थियों द्वारा दावित अधिमानी अर्हता के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की दशा में ही अधिमानी अर्हता का लाभ अनुमन्य किया जायेगा। सम्बन्धित अभिलेखों के आधार पर उसकी अर्हता के सम्बन्ध में मा० आयोग द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

- (iii) आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र (लम्बवत् एवं क्षैतिज) ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी होने परंतु उत्तराखण्ड राज्य की सेवा में लागू न होने/ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् का जारी होने के कारण स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी को सन्नरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (iv) यदि अभ्यर्थी द्वारा दावित आरक्षण श्रेणी अथवा अधिकतम आयुसीमा में छूट अथवा विज्ञापन में दावित किसी अन्य तथ्य की पुष्टि हेतु अभ्यर्थी से अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। अधिवास प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को सन्नरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (v) अभ्यर्थी द्वारा विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर या अभ्यर्थी द्वारा विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि से पूर्व अपने विभाग में प्रस्तुत कर दिया हो उसकी पावती की प्रति अभिलेखों के साथ प्रेषित की गई हो तो, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को सन्नरीक्षा टीप में औपबन्धिक अर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा तथा प्रश्नगत परीक्षा के अन्तिम चयन परिणाम घोषित होने तक विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों का औपबन्धिक चयन परिणाम घोषित किया जायेगा।
- (vi) **अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र/प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्नरीक्षा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्नरीक्षा मार्गदर्शिका-2022 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।** अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(ख) लिखित परीक्षा से संबंधित निर्देश:-लिखित परीक्षा(वस्तुनिष्ठ प्रकार) का पाठ्यक्रम 'परिशिष्ट-1' पर उपलब्ध है, लिखित परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत् हैं-

- (1) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) की आयोजित करायी जायेगी। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जायेगा।
- (2) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) का आयोजन **परिशिष्ट-05** में उल्लेखित राज्य के हरिद्वार नगर में स्थित परीक्षा केन्द्र में किया जायेगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर हल्द्वानी नगर में परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है।
- (3) **गलत उत्तरों के लिए दण्ड** – लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्नपत्र होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकृति प्रश्न-पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा।
 - (i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई अंक दण्ड के रूप में काटा जायेगा।
 - (ii) किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही ही क्यों न हो तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।
 - (iii) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।
- (4) **उत्तर कुंजी आपत्ति-** लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित औपबन्धिक उत्तर कुंजी/कुजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी औपबन्धिक उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति आयोग की वेबसाइट पर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, तो अभ्यर्थी की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। औपबन्धिक उत्तर कुंजी (Provisional

Answer Key) के संबंध में प्राप्त ऑनलाइन आपत्तियों का निस्तारण संबंधित विषय-विशेषज्ञों से करवाने के पश्चात् तथा मा0 आयोग द्वारा अनुमोदन के उपरांत निर्मित संशोधित उत्तर कुंजी (Amended Answer Key) आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। उक्त संशोधित उत्तर कुंजी के सापेक्ष अभ्यर्थियों से निम्न शर्तों के अधीन प्रत्यावेदन प्राप्त किये जायेंगे:-

- (1) अभ्यर्थियों को ई-मेल के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु 05 दिन का समय प्रदान किया जाएगा।
- (2) ऐसे अभ्यर्थी संशोधित उत्तर कुंजी के संबंध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनके द्वारा संबंधित प्रश्नों के विरुद्ध औपबंधिक उत्तर कुंजी (Provisional Answer Key) के अंतर्गत अंतिम तिथि तक विधिवत आपत्ति दर्ज की गयी हो।
- (3) आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित औपबंधिक उत्तर कुंजी में से किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प में परिवर्तन किया गया हो या संशोधित उत्तर कुंजी में किसी प्रश्न का विलोपन (Delete) किया गया हो, उसके संबंध में कोई भी अभ्यर्थी प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (4) उक्त के अतिरिक्त औपबंधिक उत्तर कुंजी में जिन प्रश्न/उत्तर विकल्प में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उन प्रश्नों/उत्तर विकल्प के संबंध में कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (5) अभ्यर्थी उपरोक्त वर्णित शर्तों के अधीन संशोधित उत्तर कुंजी (Amended Answer Key) के सापेक्ष यदि कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस संबंध में **प्रमाणिक पुस्तकों** के साक्ष्यों को संलग्न करते हुये प्रत्यावेदन गोपन अनुभाग-3 की ई-मेल आई0डी0 **Objectiongopan03@gmail.com** पर निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

तदनुसार संशोधित उत्तरकुंजी के सापेक्ष प्राप्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण किये जाने के उपरान्त निर्मित उत्तर कुंजी के आधार पर उत्तर पत्रों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

- (5) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।
- (6) **अँगूठे का निशान (Thumb Impression)**- सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।
- (7) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार रिक्त पदों के सापेक्ष नियमानुसार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किया जायेगा।

16. अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश:-

(1) साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन पत्र भर कर ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों से संबंधित शैक्षणिक/आरक्षण/अनुभव/विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि के प्रमाणपत्र संलग्न कर साक्षात्कार तिथि को आयोग के अधिकारियों के समक्ष परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे। इस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों का मिलान मूल प्रमाण पत्रों/अभिलेखों से साक्षात्कार दिवस में साक्षात्कार से पूर्व किया जायेगा तत्समय अभ्यर्थी को स्व-प्रमाणित पासपोर्ट आकार के अधुनातन दो फोटो ग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे। अंतिम चयन परिणाम लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की मैरिट के आधार पर घोषित किया जायेगा। लिखित परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट

psc.uk.gov.in पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

17. सामान्य निर्देश:-

- (1) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि पूर्णतया संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।
- (2) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अभ्यर्थियों को विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (3) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम एवं औपबन्धिक होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उस दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चयनित भी कर लिया जाता है तो भी अभ्यर्थी की संस्तुति शासन से वापस ले ली जाएगी।
- (4) अभ्यर्थी द्वारा मूल आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
- (5) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर में समानता होनी चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।
- (6) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। **अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में मा0 आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।**
- (7) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा निर्गत "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करना होगा।
- (8) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। लिखित (मुख्य) परीक्षा हेतु जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
- (9) परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या: 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014, दिनांक: 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित "दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को

श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में दिशानिर्देश” (परिशिष्ट-6) के अनुसार श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी। 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में दिशानिर्देश (परिशिष्ट-7) पर उपलब्ध हैं।

- (10) आयोग से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञापित पद/परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं० तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
- (11) अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाइन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख 02 हिन्दी एवं 01 अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर भी प्रसारित की जायेगी।
- (12) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण-पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की आगामी समस्त परीक्षाओं के लिए अधिकतम 05 वर्षों के लिये प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है और उसके विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।
- (13) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को कैल्कुलेटर, फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन, घड़ी अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं।
- (14) **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित:** कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर पृथक से कुछ भी लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
- (15) **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules- 2013 (प्रथम संशोधन 2016) के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।**
- (16) **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:** अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या

परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(17) **परीक्षा भवन में आचरण :** परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को अनावश्यक परेशान भी नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए आयोग की आगामी परीक्षाओं से Debar किया जा सकता है एवं अभियोजन भी दर्ज कराये जाने संबंधी कठोर दण्ड दिया जाएगा।

(18) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा: 1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूट-रचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, प्रश्नपत्र/उत्तर पुस्तिका या उसके किसी पृष्ठ को परीक्षा अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना, परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

- (19) न्यूनतम अर्हक अंक: उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली-2022 समय-समय पर यथा संशोधित विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों/विषयों/चरणों में अभ्यर्थियों को नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही प्रवीणता के आधार पर अगले चरण हेतु सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (परिशिष्ट-04) में उल्लिखित हैं।
- (20) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (21) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।
- (22) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in का समय-समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

Sd/-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।

परिशिष्ट-1

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में प्रधानाचार्य पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का पाठ्यक्रम

1- लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

क्र० सं०	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समयावधि
1	Engineering, Administrative Aptitude and General Hindi	200	200	03 घण्टा

नोट:— उक्त वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative marking) पद्धति अपनाई जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिये गये उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक चौथाई (1/4) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

2- साक्षात्कार (व्यक्तित्व परीक्षा) – 25 अंक

SYLLABUS FOR THE POST OF PRINCIPAL GOVERNMENT POLYTECHNIC INSTITUTES, UTTARAKHAND

**(Engineering, Administrative Aptitude and General
Hindi)**

No. of question : 200

MM :200

Time : 3 hours

**PART- A
Marks**

120

Unit 1:

Analytical geometry of two dimensions: pair of straight lines, circle and parabola. Derivative and its properties, Integration of standard functions.

Limit, continuity & differentiability, Rolle's theorem, Mean-value theorems, Partial differentiation, Maxima & minima (two variables). Definite integral and its properties, Curve tracing, Beta and Gamma functions and their properties. Applications of definite integrals to evaluate surface areas, centre of gravity.

Vector and its properties, Differentiation of vectors, Gradient, Geometrical meaning of gradient, Directional derivative, Divergence and curl, Line integral, Surface integral and Volume integral. Matrices and their types and properties, Rank of a matrix, Consistency of system of linear equations, Solution of simultaneous linear equations by elementary transformations, Cayley-Hamilton theorem and its applications to find inverse of a matrix.

First order ordinary differential equations, Ordinary differential equations of higher orders. Elementary knowledge of Partial differential equations

Unit 2:

Usage of drawing instruments, types of lines, lettering, scales, Orthographic projection and dimensioning. Projection of points, lines, simple objects and conventions. Isometric and oblique views, Auxiliary views. Development of surfaces of simple solids such as Prism, Pyramid, Cylinder and Cone.

Orthographic and sectional views of simple assembly (joints and couplings). Parameters of design, anthropometrics, human activity and the use of space.

Computer aided drafting in engineering drawing, usage of toolbars, setting up and use of Layers, printing of the documents.

Bricks, Stone, Steel and Timber and their details of construction techniques. Different building construction materials and construction techniques. Source of dampness and its efforts. Methods used for prevention and treatment of dampness. Use and over-utilization of surface and ground water, floods.

Unit 3:

DC & AC Circuits: Electrical circuit elements (R, L and C), voltage and current sources, Kirchhoff's current and voltage laws, analysis of simple circuits with DC excitation. Superposition, Thevenin and Norton Theorems. Time-domain analysis of first-order RL and RC circuits. Representation of sinusoidal waveforms, peak and rms values, phasor representation, real power, reactive power, apparent power, power factor. Analysis of single-phase AC circuits, resonance. Three-phase balanced circuits, voltage and current relations in star and delta connections.

Electric Machines and Protection: Magnetic materials, BH characteristics, construction and working principle of single-phase transformer, equivalent circuit, losses in transformers, regulation and efficiency. Construction and working of a three-phase induction motor. Loss and efficiency, starting and speed control of induction motor. Construction, working and application of single-phase induction motor. Construction and working principle of DC machine, types of DC machine. Construction and working of synchronous generators. Electrical Protection: Switch Fuse Unit (SFU), MCB, ELCB, MCCB, Types of Wires and Cables, Earthing.

Classification of the material, semiconductors and insulators, energy gap, P&N types of material, PN Junction, conductivity, dielectric and insulating material, Piezoelectric effect. Introduction to amplifiers and oscillators. Principles and design of single phase and polyphase rectifiers, AC to DC, DC to DC and AC to AC convertors.

Measurement and instrumentation: Basic method of measurement of voltage, current, power, resistance, inductance, capacitance, power factor, frequency and flux. CRO and its variation, transducers.

Unit 4:

Laws of motion, transfer of force to parallel position, resultant of planer force system, Free Body Diagrams, Equilibrium, Moment of inertia.

Classification of engineering materials, cast iron and Carbon steels, Alloy steels & their applications. Mechanical properties like strength, hardness, toughness, ductility, brittleness, malleability etc.

Measurement: Concept of measurements, errors in measurement, Introduction to measuring instruments for Temperature, Pressure, Velocity and Force and torque measurement

Thermodynamics: Zeroth law, First law, Second law: Limitations of first law of thermodynamics, Essence of second law.

Unit 5:

Introduction to Programming: Computer system, components of a computer system, computing environments, computer languages, creating and running programs, Algorithms, flowcharts, variables. Operators, Expressions and Control Structures. Arrays and Functions.

Introduction to 8085 microprocessor architecture and its application.

Unit 6:

Ecology and sustainable development: Understanding of biodiversity and human settlement, ecology and habitation, climatology and sustainable development.

Natural Resources: Renewable and Non-Renewable Resources and application.

Concept of an ecosystem. Producers, Consumers and Decomposers. Introduction, types, characteristic features, structure and function of various ecosystems.

Basic causes, effects and control measures of air, water and noise pollution. Solid Waste Management, its causes, effects and control measures of urban and industrial wastes.

Unsustainable to Sustainable development. Urban problems related to energy. Water Conservation, rain water harvesting, water shed management. Resettlement and rehabilitation of people, its problems and concerns.

Note: Equal questions from all Units.

PART- B

50

Marks

1- Education Management:

- Growth and Development of Educational Management:
 - Introduction to Educational Management
 - Issues in Educational Management: Sectoral Dimensions
 - Emerging Trends in Educational Management
- Organisational Behaviour:
 - Organisational Behaviour: An Overview
 - Leadership in Educational Management
 - Decision Making in Educational Management
 - Communication in Educational Management
- Institutional Management
 - Management of Curriculum
 - Management of Financial Resources
 - Management of Human and Administrative Resources
 - Management of Infrastructure

2- Polytechnic Education in India

- Relevant provisions of AICTE, PCI Norms for polytechnic education
- Approval process handbook latest norms
- NBA Accreditation, outcome based education

3- Research Aptitude

- Definition of Research
- Qualities of a Competent Researcher
- Purpose and Scope of Research in Engineering Education (Inter-disciplinary)

- Criteria for the selection of a research problem
- Research proposal
- Types of Research: - Historical research
 - a) Descriptive research
 - b) Experimental research
- Sampling
- Hypothesis
- Tools for Research:
 - a) Questionnaire
 - b) Interview Schedule
 - c) Tests
- Validity and Reliability of the tools
- Analysis of quantitative and qualitative data
- Research Report

4- Right to information Act, 2005.

- What is the RTI act 2005?
- History of the Right to Information Act
- Objectives of Right to Information
- Features of Right to Information
- Importance of the Right to Information Act
- Need for RTI Act
- Process of filing the RTI
- Challenges of the RTI Act
- Amendment in Right to Information Act.

5- Finance and Procurement Rules

- Uttarakhand Procurement Rules 2017 (as amended)
- General Finance Rules
- Government e-Marketplace (GeM)
- Income Tax Act, 1961 as amended from time to time along with relevant Rules and provisions
- A brief knowledge related to the Provisions, amendments of the Central Goods and Services Tax Act, 2017
- Integrated Goods and Services Tax Act, 2017
- Uttarkhand Goods and Services Tax Act, 2017.

6- Material, Infrastructure, Resource and Financial Management (With reference to State Government Institutions)

- Budget, Budget process
- Budget Performance
- PLAN & Non PLAN budget heads
- Bill passing procedure
- Financial powers
- Finance rules
- Audit
- Cost Benefit Analysis
- Cost reduction techniques

- Revenue generation
- Sources of fund
- Treasure/Pay & Accounts Office rules
- Assessment of finance
- Cash book and transaction
- Record and reports
- Classification of inventory
- Types of stores, purchase
- Inventory Control
- Stock register
- Procurement plan
- Buffer stock
- Stores audit
- Physical verification of goods and equipments & machineries.

7- General Knowledge

- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सम-सामयिक घटनाएं
- खेल एवं मनोरंजन
- भारत का आधुनिक इतिहास
- भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
- भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं कृषि
- उत्तराखण्ड के भूगोल, इतिहास, प्राकृतिक व आर्थिक संसाधन, राजनैतिक, शिक्षा, संस्कृति, खेलकूद व मनोरंजन से सम्बन्धित जानकारी

PART- C
Marks

30

सामान्य हिन्दी

- पर्यायवाची शब्द
- विलोम शब्द
- शब्द समूहों हेतु एक शब्द
- वर्तनी शुद्धि
- सन्धि-विच्छेद
- मुहावरे व लोकोक्तियां

परिशिष्ट-2

उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण-पत्र का प्रारूप

परिशिष्ट-2(1)

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
..... तहसील नगर जिला उत्तराखण्ड की
.....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय
पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में
प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारीतथा अथवा
उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम तहसीलनगरजिला
..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पूरा नाम

मुहर : पदनाम

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/
उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज
कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-2(2)

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
..... तहसीलनगर जिला
उत्तराखण्ड के राज्य की पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा
(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा
कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम-1994
की अनुसूची-2 से अधिसूचना संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा
यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के
ग्रामतहसील नगर जिला
.....में सामान्यता रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पूरा नाम

.....

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/
उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-2(3)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या: 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
.....सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री निवासी ग्राम
.....तहसील नगर जिला
.....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और
भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित)
..... पुत्र/पुत्री/पौत्र/अविवाहित पौत्री उपयुक्त अधिनियम, 1993 के ही प्राविधानों के अनुसार
उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम.....

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी

(सील)

परिशिष्ट-2(4)

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम व पता)

(अधिसूचना संख्या:-64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....वर्ष-2024-25 हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मुहल्ला.....पोस्ट
ऑफिस..... जिला..... पिन कोड.....उत्तराखण्ड
राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके
परिवार की सभी स्त्रोतों से **वित्तीय वर्ष 2023-24** की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर
वर्ग के लिए निर्धारित मानक रू0 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार
निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है:-

- I. कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
- II. आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड,
या
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक
के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि..... जाति से हैं और भारत
सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा
वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

आवेदक की नवीनतम
पासपोर्ट साइज का
प्रमाणित फोटो

हस्ताक्षर सहित कार्यालय
की मुहर
नाम.....
पदनाम.....

परिशिष्ट-2(5)

दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या -तारीख

निःशक्तता प्रमाण - पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष
द्वारा विधिवत प्रमाणित
उम्मीदवार का हाल का
फोटो जो उम्मीदवार की
निःशक्तता दर्शाता
हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्रीआयु..... लिंग.....
पहचान चिन्ह.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉल्लिज)

- (I) दोनों टांगे (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं
(II) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच (ख) कमजोर पकड़
(III) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टांगें और दोनों बांहें प्रभावित
(IV) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

- (V) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

- (VI) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)
(VII) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधपन अथवा अल्प दृष्टि –

- (i) बी – अंधता
(ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

- (i) डी-बधिर
(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है।
इस मामले का पुननिर्धारण किए जाने की अनुशांसा नहीं की जाती।वर्षों महीनों की अवधि के
पश्चात पुननिर्धारण किए जाने की अनुशांसा की जाती है।
3. उनके मामले में निशक्तता का प्रतिशत है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-
5. एपफ-अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
 6. पी पी-धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है।
हाँ/नहीं
 7. एल-उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
 8. के सी-घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं
हाँ/नहीं
 9. बी-झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
 10. एस-बैठ कर कार्य कर सकते /सकती हैं।
हाँ/नहीं
 11. एस टी-खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
 12. डब्लू-चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
 13. एस ई-देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
 14. एच-सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
 15. आर डब्लू-पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं

डा०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डा०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डा०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

हस्ताक्षरित

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति

(मुहर सहित)

*जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट-2(6)(i)

शासनादेश संख्या-139 / XX(8) / 24-27 (रा0आ0) / 2018, दिनांक 24.11.2024

प्रारूप-1

"उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023" के प्राविधानानुसार चिन्हित उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर श्री/सुश्री/श्रीमती.....
..... पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री निवासी.....तहसील.....
.....जिला..... शासनादेश संख्या-777/XX(4)/26/उ0आ0/2006-08, दिनांक:
22.10.2008, शासनादेश संख्या-178-2/XX(4)/26/उ0मा0/06/09, दिनांक 28.02.2009, शासनादेश
संख्या - 1401 / बीस-4 / 2015-3 (26)/2006, दिनांक 25.02.2015, शासनादेश संख्या-1521/बीस
4/2017-9(उ0रा0आ0) 2016, दिनांक: 03.01.2017 एवं शासनादेश संख्या-1192/बीस-4/2017-
3(13)/2011, दिनांक: 01.12.2017 में विहित चिन्हीकरण हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार उत्तराखण्ड
राज्य आन्दोलनकारी के रूप में चिन्हित होने के दृष्टिगत "उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित
आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023" के प्राविधानानुसार
राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण से आच्छादित होते हैं।

दिनांक.....

जिलाधिकारी

जनपद.....

मोहर.....

परिशिष्ट-2(6)(ii)

शासनादेश संख्या-139/XX(8)/24-27 (रा0आ0)/2018, दिनांक 24.11.2024

प्रारूप-2

"उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023" के प्राविधानानुसार राज्याधीन सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आन्दोलनकारियों के आश्रितों यथा स्थिति पत्नी अथवा पति, पुत्र एवं पुत्री (जिसमें विवाहित विधवा, पति द्वारा परित्यक्त, तलाकशुदा पुत्री भी सम्मिलित है) को राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर श्री/सुश्री/श्रीमती.....
..... पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री निवासी..... तहसील.....
.....जिला..... शासनादेश संख्या-777/XX(4)/26/उ0आ0/2006-08, दिनांक:
22.10.2008, शासनादेश संख्या-178-2/XX(4)/26/उ0मा0/06/09, दिनांक: 28.02.2009, शासनादेश
संख्या - 1401 / बीस - 4/2015-3(26)/2006, दिनांक 25.02.2015, शासनादेश संख्या-1521/बीस
4/2017-9(उ0रा0आ0) 2016, दिनांक: 03.01.2017 एवं शासनादेश संख्या-1192/बीस-4/2017-
3(13)/2011, दिनांक: 01.12.2017 में विहित चिन्हीकरण हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार राज्य
आन्दोलनकारी चिन्हित किये गये हैं तथा श्री/सुश्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/पत्नी
/पति के रूप में उक्त संदर्भित राज्य आन्दोलनकारी के आश्रित हैं।

दिनांक.....

जिलाधिकारी

जनपद.....

मोहर.....

परिशिष्ट-03

Experience Certificate

Logo of
Officer
(If available)

Name of Deptt./Office:
Address of Deptt./Office:
Date & Reg. no. of Company/Firm/Society/Institution/Trust
Telephone No.:.....
Website:.....

Ref. No. :-

This is to certify that Shri /Smt. /Km. Son /Daughter/Husband of Shri..... is an employee of this Department /Organization/Company/Firm/ Society /Institution/Trust and duties performed by him during the period (s) are as under:

Name of post held	From dd/mm/y	To dd/mm/y	Total Period dd/mm/y	Nature of appointment (Permanent-Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/Visiting faculty/Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Field of Technical Education/Field of Research/Industry experience.	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/experience gained in brief in each post (Please give details)	Place of posting	Worked at Post-Ph.D level (in years)	Worked at the Post of Head of Department level (in years)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11

It is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in our Department/Organization/Company/Firm/ Society/Institution/Trust.

Date :

Sign

Place :

(Signature & Name of Authorized Signatory in Capital Letters)
Designation with seal

Name & Signature of Candidate :

* All fields in this form are mandatory to be filled. Incomplete format will not be accepted in any case.

परिशिष्ट-04

राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रधानाचार्य परीक्षा-2024

न्यूनतम् अर्हकारी अंक :-

अनारक्षित वर्ग, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रश्नगत परीक्षा हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022 समय-समय पर यथा संशोधित विनियमावली के द्वारा परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	आरक्षण की श्रेणी	लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्रतिशत में।	सम्पूर्ण प्रवीणता-सूची तैयार किये जाने परीक्षा (लिखित परीक्षा) एवं साक्षात्कार) में निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1	अनारक्षित एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	40%	45%
2	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	35%	40%
3	अनुसूचित जाति श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	30%	35%
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	35%	40%

नोट- सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

परिशिष्ट-05

राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रधानाचार्य परीक्षा-2024 हेतु लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) का आयोजन राज्य के हरिद्वार नगर में स्थित परीक्षा केन्द्र में किया जायेगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर हल्द्वानी नगर में भी परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है।

- नोट –**
1. अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा केन्द्रों व नगरों की संख्या घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है।
 2. साक्षात्कार का आयोजन हरिद्वार नगर स्थित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में ही किया जाएगा।

परिशिष्ट-06

शासनादेश संख्या: 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत :-

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में **Benchmark** विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो **Blindness** (अंधता), **locomoter disability (Both arm affected-BA)** (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा **cerebral palsy** (मस्तिष्क घात)से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत **परिशिष्ट-6(1)** प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-6(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट-6(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-6(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट-6(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-6(1)** प्रमाण पत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।
4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा (प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।
6. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
7. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू-तल के निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

परिशिष्ट-06(1)

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs
(name of the candidate with disability), a person with
(nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of
disability), S/o/D/o, a resident of
(Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which
hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a
Government Health care institution

(Name & Designation)

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal:

Place:

Date:

**Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant
stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist,
Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)**

परिशिष्ट-06(2)

Letter of Undertaking for using own Scribe

I, a candidate with(name of the disability) appearing for the(name of the examination) bearing Roll No. at(name of the centre) in the District (name of the State). My qualification is

I do hereby state that (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

परिशिष्ट-07

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा 2(r) से अवमुक्त अर्थात् 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है, को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में श्रुतलेखक एवं/या क्षतिपूर्ति समय की सुविधा लिखने में असमर्थ केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा **परिशिष्ट-7(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि अभ्यर्थी लिखने में असमर्थ है तथा अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु श्रुतलेखक की आवश्यकता है।

2. श्रुतलेखक की अनुमन्यता के संबंध में प्रेषित किया जाने वाला **परिशिष्ट-7(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र निम्नवत गठित बहु-सदस्यीय समिति द्वारा निर्गत किया जाना अनिवार्य है-

- i. Chief Medical officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer..... अध्यक्ष
- ii. Orthopaedic/PMR specialist
- iii. Neurologist (उपलब्धता के आधार पर)
- iv. Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist/ Psychiatrist/ Special Educator
- v. Occupational therapist. (उपलब्धता के आधार पर)
- vi. समिति के अध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी की स्थिति के आधार पर नामित अन्य कोई सदस्य।

3. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी अथवा श्रुतलेखक आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-7(1)** प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता संबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से एक स्तर कम होगी किन्तु किसी भी दशा में हाई स्कूल से न्यून नहीं होगी।

स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था किये जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक श्रुतलेखक की 02 आवक्ष फोटो एवं 01 पहचान-पत्र के साथ **परिशिष्ट-7(2)** प्रमाण-पत्र एवं **परिशिष्ट-7(1)** प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5. अभ्यर्थी को अपरिहार्य परिस्थितियों में श्रुतलेखक को परिवर्तित किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में पृथक-पृथक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किन्तु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
6. अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत **परिशिष्ट-7(1)** प्रमाण-पत्र के बिन्दु संख्या-2 में अनुमोदित ऐसे सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति होगी, जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं होती हो।
7. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
8. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा केन्द्र के भू-तल पर निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
9. उक्त दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या : 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में आयोग द्वारा अनुमोदित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धांत दिनांक 09 जून, 2020 से पृथक होंगे।

सचिव

परिशिष्ट-07(1)

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs.....(name of the candidate), s/o /D/oa resident of (Vill/PO/PS/District/State), aged..... yrs. a person(nature of disability/condition), and to state that he/she with has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is/are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid unto _____ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/ PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/psychiatrist/ Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (If any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/Chief District Medical Officer..... Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with seal

Place:

Date:

परिशिष्ट-07(2)

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

I _____, a candidate with _____ (nature of disability/condition) appearing for the _____ (name of the examination) bearing _____ Roll No. _____ at _____ (name of the center) in the District _____, _____ (name of the State). My educational qualification is _____.

2. I do hereby state that _____ (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is _____. In case subsequently it is found that his qualifications is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date:

परिशिष्ट-08
राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रधानाचार्य परीक्षा-2024
Check List

अनुक्रमांक -

क्र० सं०	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
01	ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति।	
02	विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-02) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
03	प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
04	देशना प्रत्रक (प्रपत्र संख्या-04) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
05	हाईस्कूल प्रमाण-पत्र	
06	हाईस्कूल अंकतालिका,	
07	इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र	
08	इण्टरमीडिएट अंकतालिका,	
09	स्नातक उपाधि*	
10	स्नातक अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की अंकतालिका	
11	परा-स्नातक उपाधि*	
12	परा-स्नातक अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की अंकतालिका	
13	पीएच.डी. उपाधि(यदि लागू हो)	
14	अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र*	
15	अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण -पत्र। (यदि लागू हो)। (1) प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष की सेवा की हो, या (2) नेशनल कैडेट कोर(एन0सी0सी0) का "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो: को अन्य बातों के समान होने पर अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।	

16	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 / ई0डब्लू0एस0)** (यदि लागू हो)	
17	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे/दिव्यांगता प्रमाण पत्र/उत्तराखण्ड राज्य आदोलन के चिन्हित आदोलनकारी या उनके आश्रित) (यदि लागू हो)	
18	स्थायी निवास प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)	
19	पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए है।	
20	यदि अभ्यर्थी किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति।	
21	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।	
22	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ एवं एक फोटोयुक्त आई0डी0।	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण-पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

** एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0 एवं अन्य आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या-310 दिनांक 26.10.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण-पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हों

ई0डब्लू0एस0 प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2023-2024 की आय गणना के आधार पर निर्गत हुआ होना चाहिए।
नोट-अभ्यर्थी उक्तानुसार चैकलिस्ट सहित चैकलिस्ट में उल्लिखित समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट पूर्णरूप से भरते हुए तैयार करेंगे एवं अभिलेख सत्यापन (Document verification) के समय आयोग में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम.....